(74/24)

पत्रांक-7/आ०नि०-01/8/-02/2004

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

गुरुत्यार सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त।

3540

रांची, दिनांक 2 जुलाई, 2004

विषय : जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के आधार बिन्दुओं पर विभिन्न जिलों के उपायुक्तों द्वारा सरकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

सरकार की यह स्पष्ट मंशा रही है कि जाति प्रमाण–पत्र पाने की पात्रता रखने वाले लोगों को जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई नहीं हो। साथ ही सरकार की यह भी अपेक्षा है कि जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में सक्षम पदाधिकारी समुचित विवेक का प्रयोग करते हुए अवांछित व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं करे।

सामान्यतः जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु भू–अभिलेख/पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम/निबंधन कागजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है। तथापि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो ईमानदारीपूर्वक स्थानीय जांच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है।

जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–बी.सी. 12025/02/76–ए.सी.टी. दिनांक 22.3.1977 भी प्रासंगिक है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के किसी खास स्थान विशेष का होना विशेष महत्व रखता है।

स्थानीय जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी द्वारा जांच की सही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ताकि गलत प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं हो सके। कोई भी जाति प्रमाण–पत्र उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् तथा निर्गत करने वाले पदाधिकारी के स्वयं संतुष्ट होने के आधार पर ही निर्गत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने हेतु मान्य नहीं होगा। अन्य प्रयोजनों के लिए

(23)

2

प्रखंड निकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र भी मान्य होगा ।

जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र विभागीय पत्रांक 2820 दिनांक 28.5.04 पूर्व में ही आपको भेजा जा चुका है।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।